ब्यूरो
फरवरी। इस्पात
। गैर विनियमित
आपूर्ति सुनिश्चित
अवसर उपलब्ध
ई कोयला लिंकेज
पूर्ति की सुविधा
ए आबंटित की
की प्रक्रिया इसी
नाएगी। ये उद्योग
टन के मामले में
त्र में आते हैं।
। पहले साल में
टन कोयले की
ी नीलामी करने

कोयला मंत्री पीयूष
को यहां मंत्रिमंडल
तों की समिति की
र्णय की जानकारी
ादाताओं से कहा
र विनियमित क्षेत्रों
के जरिए कोयला
नुमति दी है। इन
इस्पात-स्पॉन्ज
नियम और अन्य
। को छोड़ कर)
त्री ने कहा कि इस

रूपरेखा का मकसद अंतिम रूप से कोयले का उपभोग करने वाली इकाइयों को निष्पक्ष तरीके से कोयले का स्रोत सुलभ कराना है।

गोयल के मुताबिक कोयला ब्लाक देने की प्रक्रिया अभी पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह के अनुपालन हैं। उन्होंने कहा कि नीलामी की प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी और इसमें उपभोक्ताओं को समान अवसर उपलब्ध होंगे। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने कहा कोयला लिंकेज के लिए नीलामी की प्रक्रिया सात से दस दिन में शुरू होगी। इसे अंतिम रूप देने में दो-तीन महीने, संभवतः अप्रैल अंत तक का समय लगेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी (एससीसीएल) अपना एक-चौथाई उत्पादन गैर बिजली कंपनियों को नीलामी के लिए रखेंगी।

गोयल ने कहा कि जिन कंपनियों का कोल इंडिया के साथ दीर्घावधि का ईंधन आपूर्ति करार है उन्हें इसके खत्म होने तक आपूर्ति मिलती रहेगी। प्रस्तावित नीलामी के तरीके में मूल्य बाजार व्यवस्था के जरिए तय किया जाएगा। इसमें राजस्व को अधिकतम करने का उद्देश्य नहीं होगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि गैर विनियमित क्षेत्र के सभी भागीदारों को कोयला लिंकेज (आपूर्ति स्रोत) पाने का उचित अवसर उपलब्ध हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि गैर विनियमित क्षेत्र के सभी भागीदारों को कोयला ब्लाक पाने के लिए समान अवसर उपलब्ध होगा। इसमें उनका आकार बाधा नहीं बनेगा।

राज्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे को राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन की अनुमति भी दे दी। इसका मकसद रेल परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए संसाधन जुटाना है। विभिन्न राज्यों में रेल लाइनों की बढ़ती मांग व उनके क्रियान्वयन के लिए भारी धन की जरूरत को देखते हुए संयुक्त उद्यम कंपनियां परियोजनाओं की पहचान, भूमि अधिग्रहण और सरकार के वित्तपोषण के अतिरिक्त संभावित वित्त पोषण व निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन का फैसला किया गया। इसमें रेलवे और संबंधित राज्य सरकारों की इक्विटी भागीदारी होगी। हरेक संयुक्त उद्यम की शुरुआती चुकता पूंजी करीब सौ करोड़ रुपए होगी। यह परियोजनाओं के हिसाब से होगी। हरेक राज्य के लिए रेलवे की शुरुआती चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए होगी। इसमें और धन या इक्विटी परियोजना की मंजूरी के बाद डाली जाएगी।


DEBTS RECOVERY
RIBUNAL, DELHI

or, Hotel Samrat, Kautilya
uri, New Delhi - 110021
S.A. No. 282/2012 (DRT-III-Delhi)
ppellant

Respondents

Respondent No.1

eal from the order passed by
D.R.T. in the above case has
e appellant on 27.03.2014
ellant on 27.03.2014 and is
unal. The matter was listed
on 06.01.2016.
123/2014 is ordered to be
Chairperson, D.R.A.T., Delhi
ring.
ain present either in person or
on the said date failing which
ded by this Appellate Tribunal
erial on record.

Ashok Kumar (Registrar)

AMPS LTD.
HR1993PLC033993
ela Piao Manihari Road,
Sonepat (Haryana)
OTICE
given in pursuant to
isting Agreement Under
he Companies Act' 2013
ng which will be held on
y of February 2016 to

CHD
DEVELOPERS LTD

Regd. Office: SF 16-17, 1st Floor, Madame Bhikaji Cama Bhawan, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
CIN: L74899DL1990PLC041188

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Meeting of the Board of Directors of the Company will be convened on Thursday, 11th February, 2016 at 2:00 p.m. at its Registered Office to take on record the Un-Audited financial results of the Company for the Quarter ended on 31st December, 2015.

By the order of the Board
For CHD Developers Limited
Sd/-

Place: New Delhi — Rajinder Kumar Mittal
Date: 3rd February, 2016 — (Chairman)

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह सूचित करना चाहते हैं कि

चैनल्स:

1. सहारा वन (चैनल नं. 128)
2. फ़िल्मी (चैनल नं. 209)
3. न्यूज 24 (चैनल नं. 321)
4. ई 24 (चैनल नं. 537)
5. सहारा समय बिहार/झारखंड (चैनल नं.861)
6. सहारा समय राजस्थान (चैनल नं. 881)

CC

C & C Constructions Ltd.

Regd. Office: 74, Hemkunt Colony, New Delhi-110 048
Tel:0124-4536666 Fax:0124-4536799 Email:candc@candcinfrastructure.com
CIN:L45201DL1996PLC080401 Website:www.candcinfrastructure.com

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, 12th February, 2016, inter-alia to consider, approve & take on record the Un-audited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2015.

The intimation is also available on the website of the Company at www.candcinfrastructure.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

Date: 02.02.2016 — For C & C Constructions Ltd.
Place: Gurgaon — Deepak Nathani (Company Secretary)

विजया बैंक
VIJAYA BANK

शाखा: विकास मार्ग, दिल्ली (6041), ई-मेल: VB604@vijayabank.co.in, वेब: www.vijayabank.com,
फोन: 011-22455604, फैक्स: 011-22455604

संदर्भ: वीबी/वीएमबी/89/2015-16 — [नियम 8 (1)] — तिथि: 01.02.2016

कब्जा सूचना (अचल परिसंपत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन (द्वितीय) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विजया बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 10.11.2015 जारी कर ऋणधारक मै. एस.एस. होम लिनेन प्रा.लि., बी-9, गली नं. 2, जोशी कॉलोनी, आई.पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली- 110092 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 27,76,430.00 (टिप्पणी)। (रुपए सत्ताईस लाख छियत्तर हजार चार सौ तीस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 01 फरवरी, 2016 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/ गारंटरों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 27,76,430.00 (टिप्पणी 2) (रुपए सत्ताईस लाख छियत्तर हजार चार सौ तीस मात्र) तथा उस पर